संख्या /XII/2006/82(25)/2003

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून.

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विभिन्न वचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 187/XII/2006/82(25)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिष्ठान हेतु कुल रु0 1,45,16,000.00 **(रु0 एक करोड़ पैंतालीस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित वचनबद्ध मानक मदों में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रुपये में)

क. स.	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में बजट प्राविधान	शासनादेश संख्या 187 दिनांक 30.03.07 के द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01–वेतन	8659	2480	6179
2.	03–महगाई भत्ता	5195	1302	3893
3.	04–यात्रा व्यय	300	183	117
4.	06–अन्य भत्ते	953	303	650
5.	08–कार्यालय व्यय	500	217	283
6.	09–विद्युत देय	140	56	84
7.	10–जलकर/जल प्रभार	15	14	1
8.	13–टेलीफोन व्यय	150	98	52
9.	16–गाडियों का अनुरक्षण एव पैट्रोल आदि की खरीद	300	133	167
10	48–महगाई वेतन	4330	1240	3090
	योग	20542	6026	14516

(रु0 एक करोड़ पैंतालीस लाख सोलह हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जावेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय ।

4. इसे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा ।

5. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय

क्रमशः...2..

6. निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

7. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी०एम०–13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

8 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–03 पंचायतीराज अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 599/ XXVII(1)/2006, दिनांक 12 जुलाई, 2007 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी०के० महान्ति)
सचिव ।

संख्या 437 /XII/07/82(25)/2003 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी./समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
8 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(जे०पी०जोशी)
उप सचिव